संख्या:82/2017/4391/12-2-2017-108/2017

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2017

विषय: उत्तर प्रदेश में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के पत्र संख्या-2668/67 कृषि0शि0अ0/2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2017, पत्र संख्या: 2782/67-कृ0शि0अ0-17-1500(03)/16 टी0सी0-5 दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या: 2809/67-कृशिअ-17-1500(3)/16 दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों में से 10 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु कृषि विभाग की जनपद सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच की तालिका के स्तम्भ-4 व 5 में निम्नानुसार चिन्हित भूमि क्रमांक-1, 2, 3, 4 एवं 6 के स्तम्भ-6 में उल्लिखित कृषि विश्वविद्यालयों तथा क्रमांक-5 की कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से 30 वर्षो के लिए पटटे पर नि:शुल्क हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	केन्द्रों के जनपद	भूमि का हस्तान्तरण करने वाला विभाग	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल	चिन्हित भूमि का विवरण	संचालित करने वाली संस्था	भूमि हस्तान्तरण करने वाले विभाग की सहमति/अनापत्ति/आपत्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	सम्भल	कृषि विभाग	12 है0	गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म, पलथा पो0 राहोली, ब्लाक-बनिया खेडा, तहसील चंदौसी (12 है0 भूमि पलथा) जिला सम्भल	कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ	अनापत्ति
2	अमरोहा	कृषि विभाग	12.335 है0	राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, तारापुर, ब्लाक गजरौला, तहसील व जिला अमरोहा	कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ	अनापत्ति
3	अमेठी	कृषि विभाग	13.00 है0	राजकीय बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र	कृषि विश्वविद्यालय,	अनापत्ति

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				ग्राम व पो0-कठौरा, ब्लाक जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला अमेठी	फैजाबाद	
4	कासगंज	कृषि विभाग	9.2 है0	राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, मोहनपुरा, ब्लाक एण्ड तहसील कासगंज	कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर	अनापत्ति
5	हरदोई	कृषि विभाग	18.0 है0	एग्रीकल्चर फार्म राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, जैतपुर, ब्लाक एण्ड तहसील सण्डीला, जिला हरदोई	आई0सी0ए0आर0-आई0आई0पी0आर0, कानपुर	अनापत्ति
6	बहराइच	कृषि विभाग	12.0 है0	नानपारा राजकीय कृषि फार्म, जिला बहराइच	कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद	अनापत्ति

3. तालिका के स्तम्भ-04 तथा 05 में उल्लिखित क्षेत्रफल/विवरण की भूमि इस शर्त के साथ हस्तान्तरित की जा रही है कि भूमि यदि कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किए जाने से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो उसके लिए मूल विभाग से पुन: अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस की जायेगी।

4. अत: कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए तालिका के स्तम्भ-4/5 में उल्लिखित भूमि के स्तम्भ-6 में अंकित संस्थाओं को नि:शुल्क हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

5. कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या:82/2017/4391(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी, सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच।
3. जिला कृषि अधिकारी, सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।